किसानों की समृद्धि के लिए कृषि का व्यवसायीकरण

—सुनील कुमार सिंह

कुरुक्षेत्र, मार्च 2015

मौजूदा कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाए जाने एवं उर्वर कृषि भूमि के क्षरण को रोकने के लिए कृषि के व्यवसायीकरण की नीति अपनाने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार की ओर से किसानों को जहां अत्याधुनिक खेती की तकनीक बताई जा रही है वहीं कृषि के व्यवसायीकरण के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत मिश्रित खेती, अनाज के साथ बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन आदि की तकनीक भी बताई जा रही है ताकि कृषि के व्यवसायीकरण के जरिए किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें और कृषि उत्पादन भी बढ़ सके।

देश की कुल आबादी का 72 प्रतिशत गांवों में गुजर–बसर करता है। गांवों में रहने वाले लोग खेती पर आश्रित हैं।

चौंकाने वाले तथ्य यह हैं कि देश के 85 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमान्त की श्रेणी में आते हैं। इसमें खेती पर आधारित 65 प्रतिशत ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। ऐसी स्थिति में सभी को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने एवं हर हाथ को काम दिलाने के लिए व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देना होगा। खाद्य सुरक्षा मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि खाद्य पदार्थों के उत्पादक किसान बन्धुओं के संसाधनों की सुरक्षा नहीं की जाएगी। किसानों की भलाई के लिए जरूरी है कि कृषि उत्पादन मूल्य न्यून किया जाए और कृषि दिवसों में लगे श्रम का भुगतान कर उनके जीवनयापन को सामान्य रखा जाए। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसान की जब एक फसल मारी जाती है तो उसके साथ ही पिछलें वर्षों का बीज, खाद, निराई–गुड़ाई की मेहनत सब डूब जाती है। ऐसी स्थिति में कृषि की व्यावसायिकता के सूत्र से किसानों को राहत मिल सकती है। एकल फसल के बजाय वे बहुफसली प्रणाली अपनाएं। आज भी हमारे देश में तमाम खेत किसी न किसी कारण खाली रह जाते हैं। ऐसे में भूमिहीन किसान ठेका पद्धति अपनाकर इस खाली रहने वाली जमीन को खेती का जरिया बनाए तो काफी लाभ हो सकता है। एक तरफ जिस किसान का खेत खाली रह जाता है,

उसे भी अपने खेत से कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ भूमिहीन किसान को खेत मिल जाएगा। तीसरा, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश के सकल फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में भूमि संसाधनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि जब तक भूमि संसाधन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक खाद्य जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। खेती योग्य रकबा निरंतर कम होता जा रहा है। इसका एक कारण है शहरों का तेजी से हो रहा विकास। गांवों में शहरों जैसी सुविधाओं का विकास हो रहा है तो गांव में शहरों जैसे संसाधन भी विकसित हो रहे हैं। ऐसे में विकास में सबसे ज्यादा ह्रास तो जमीन का ही होता है। भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। इस बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से निरंतर मदद मिल रही है। किसानों को अनुदान के साथ ही बंजर भूमि की मिट्टी के अनुसार खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बदलते परिवेश में खेती की लागत बढ़ी है। ऐसी स्थिति में किसानों की समृद्धि के लिए कृषि का व्यवसायीकरण करना बेहद जरूरी है। एक तरफ फिलीपींस और चीन जैसे एशिया के दो प्रमुख उत्पादक देश खाद्य सुरक्षा के मामले में बेहद नाजुक दौर में हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे विकासशील देश में कृषि के व्यवसायीकरण की महत्ता अपने आप बढ़ जाती है। चूंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगर कुछ महत्वपूर्ण कमियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की ओर से विदेशी कर्ज वापसी की बड़ी किस्तें जमा करने और जरूरी घरेलू खर्च को कम करने के लिए फिलीपींस पर बहुत दबाव डाला गया। कृषि की प्रगति और किसानों की सहायता के अनेक सरकारी कार्यक्रम ठप्प हो गए या उनमें काफी कटौती हुई। दूसरी ओर चीन ने चावल, गेहूं, मक्का जैसे मुख्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बनाए रखी है। लेकिन अपने यहां भोजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल सोयाबीन के मामले में वह मार खा गया और आयात पर उसकी निर्भरता काफी बढ़ गई। तेज औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण कृषि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा विलुप्त हो रहा है। इस लिहाज से भी कृषि की व्यवसायिकता का महत्व बढ़ जाता है।

गांवों में जल–संरक्षण और हरियाली पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इससे वह बुनियाद तैयार होगी जिससे रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भर हुए बिना ही पर्याप्त खाद्य उत्पादन हो सकेगा। इस प्रयास में कृषि के परंपरागत ज्ञान और परंपरागत बीजों के साथ ही तकनीक की दिशा में भी कदम बढ़ाने होंगे। पिछले लगभग बीस वर्षों में खाद, कीटनाशकों, सिंचाई, अनुसंधान, प्रसार आदि पर बहुत खर्चा करने के बावजूद उत्पादकता वृद्धि दर में वांछित तेजी नहीं लाई जा सकी है। यह किसानों के लिए एक बड़ा संकट है। इस संकट से निबटने के लिए ही केंद्र सरकार की ओर से भी कृषि के व्यवसायीकरण पर जोर दिया जा रहा है। भारत में तीन प्रकार के किसान हैं। एक तो वो किसान हैं जो लघु व मध्यम किसान हैं जो अपने हाथ से स्वयं खेती करते हैं। दूसरे वो जो वह भू–स्वामी जो शहरों में नौकरी व रोजगार करते हैं तथा अपनी भूमि बटाई पट्टे पर करवाते हैं। तीसरे वो हैं जो बड़े व्यापारी अधिकारी हैं जिनके पास पर्याप्त जमीनें हैं, लेकिन वे खेती नहीं कर सकते हैं। ऐसे किसान बटाई के जरिए कृषि उत्पादन में अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आबादी के बढ़ते दबाव के चलते कृषि जोत का संरक्षण अति आवश्यक है।

इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पिछले चार महीनों में साढ़े सात करोड़ खाते खोलने के बाद सरकार अब कर्ज बांटने की एक अहम योजना लागू करने जा रही है। यह योजना भूमिहीन व बटाई पर खेती करने वाले किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–मोटे रोजगार करने वालों के लिए होगी। अगले पांच महीनों में इस श्रेणी के 50 लाख लोगों को बैंकों के जरिए कर्ज दिलाया जाएगा। योजना के तहत जनजाति–बहुल इलाकों व औद्योगिक कलस्टरों पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है उसी अनुपात में खेती योग्य जमीन कम हो रही है। इसके पीछे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण सहित तमाम कारण हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 1951 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.46 हेक्टेयर थी, जो 1992–93 में घटकर 0.19 हेक्टेयर हो गई और वर्ष 2001–02 तक घटकर 0.16 हेक्टेयर रह गई है। जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 11 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इस दशक में हम बायोटेक्नोलॉजी को और परिपक्व कर अपेक्षित रिजल्ट हासिल कर पाएंगे।

वर्ष 2020 तक हम फल का आकार, फूल का रंग, उसमें शर्करा की मात्रा, स्वाद व रेशेयुक्त फसल अपनी अपेक्षा के अनुसार हासिल करने में सफल होंगे। सरकार ने भी पूरा सहयोग किया और किसानों को खेती के लिए सस्ते लोन पर

उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास किया, जो खेती को बढ़ावा देने के लिए जरूरी थे। किसानों को ऋण के जरिए पंपसेट से लेकर ट्रैक्टर तक मुहैया कराए गए। किसानों को कृषि यंत्रों से लैस करने के अलावा उन्नत बीजों के इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित किया गया। विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 'कृषि विभाग किसान के द्वार' जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों में जहां किसानों को उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराए गए वहीं यह भी बताया गया कि किस तरह से वे खेती करें। इतना ही नहीं बंजर खेत में खाद और कम पानी के प्रयोग की तकनीकों से भी लाभान्वित किया जा रहा है। जिस अनुपात में सरकार की ओर से सहायता मुहैया कराई जा रही है, उसी अनुपात में हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है। जिस तरह इजराईल व यूरोपीयन देशों में नई तकनीकों से खेती की जा रही है। उसी तकनीक से भारत में भी खेती करने और अधिक से अधिक अन्न उपजाने और उसे बचाने की कोशिशें जारी हैं। शुष्क खेती, कम पानी से अधिक पैदावार व ड्रिप सिंचाई जैसी नई प्रणालियों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहित किया है।

हमारे देश में तमाम ऐसे राज्य हैं, जहां सिंचाई की न पर्याप्त सुविधा है और न ही नहरों एवं परंपरागत माध्यमों से सिंचाई योग्य भूमि। ऐसे स्थानों पर अपनाई जा रही ड्रिप सिंचाई पद्धति रामबाण बनकर आई है। खासतौर से मरुस्थली इलाकों में यह ज्यादा पापुलर हुई है। उत्पादन पर भी इसका असर दिख रहा है। इस नए दशक में देश की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर हम न केवल खाद्यान्न की देश की जरूरतें पूरी करेंगे बल्कि निर्यात में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। नए खुले बाजार तंत्र के कारण किसानों को बाजार में फसल की वाजिब कीमत मिलने के अवसर पिछले दस वर्षों में बढ़े हैं। केंद्र सरकार की ओर से जहां उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तमाम प्रयास किए गए वहीं किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में भी सराहनीय प्रयास किए गए। सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से सीमान्त व छोटे किसानों को फायदा हुआ है। पहले छोटे एवं लघु किसानों के सामने अपनी उपज को लेकर काफी दुविधा रहती थी। एक तो वे अनाज का उचित मूल्य नहीं समझ पाते थे और दूसरे उन्हें जो भी भाव बता दिया जाता था, उस पर बेचने के लिए विवश होते थे। ऐसे में सरकार की ओर से समर्थन मूल्य घोषित किए जाने से अब छोटे एवं मझोले किसानों को बिचौलियों के हाथों फसल बेचने को विवश नहीं होना पड़ता है। देश में कृषि विकास को नया आयाम देने के लिए भूमि संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खेती को बढ़ावा देने एवं पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण की दिशा में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही भूमि संरक्षण के कई कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन जिस तरह से विभिन्न आयोगों की ओर से संस्तुतियां आई, उसमें समयानुसार परिवर्तन भी किए गए हैं। भारत के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2014–15 का बजट पेश करते हुए भूमिहीन किसानों के बीच कर्ज बांटने के लिए एक नई योजना चलाने की बात कही थी। इस घोषणा को ही अमलीजामा पहनाने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए हैं। यह योजना खेती से जीविका चलाने वाले भूमिहीन किसानों को सबसे ज्यादा राहत देगी। ये लोग आमतौर पर जबानी बटाईदार होते हैं।

मिश्रित खेती से मिले लाभ

कृषि व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों मिश्रित खेती का चलन बढ़ा है। कृषि विभाग की ओर से भी इस खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छोटी जोत के किसानों के लिए यह सबसे फायदेमंद मॉडल के रूप में सामने आया है। भारत में हर साल करीब 2600 मिलियन टन मृदा अपरदन होता है। देश में करीब 71 लाख हेक्टेयर भूमि की मृदा ऊसर से प्रभावित है। जबकि पूरे विश्व में यह आंकड़ा लगभग 9520 हेक्टेयर के करीब बताया जाता है। जो मृदा ऊसर से प्रभावित है, उसे संसाधित करके खेती योग्य बनाए जाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में सिंचित भूमि में मिश्रित खेती की जा सकती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में वर्ष 1951 में मनुष्य भूमि अनुपात 0.48 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, जो दुनिया के न्यूनतम अनुपातों में से एक है। वर्ष 2025 में घटकर यह आंकड़ा 0.23 हेक्टेयर होने का अनुमान है। इस स्थिति से निबटने के लिए मिश्रित्र खेती को काफी कारगर माना जा रहा है। इसके तहत किसान खेत में नीचे हल्दी, लहसुन, प्याज जैसी फसलों को उगाते हैं और ऊपर झामड़ बनाकर लता वाली सब्जियों को चढ़ा देते हैं। साथ में मेड़ के किनारों पर केला, गन्ना और अमरूद के पेड़ लगे हैं। इस तरह एक ही खेत में कई तरह की खेती हो रही है।

दलहन, तिलहन और मक्के

गर्मी के दिनों में आमतौर पर दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है। कृषि व्यवसायीकरण के तहत अब दलहन एवं तिलहन के साथ ही मक्के की खेती करवाई जा रही है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में गर्मी के मौसम में खेती

का एक बड़ा हिस्सा खाली रहता है। कृषि वैज्ञानिकों की ओर से कृषि व्यवसायीकरण के तहत एक नया प्रयोग किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में जो खेत खाली रहते हैं, उनमें दलहन एवं तिलहन के साथ ही मक्के की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को कृषि विभाग की ओर से अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। अधिक आय देने वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने, इनके रकबे में बढ़ोतरी एवं भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए कृषि विभाग की ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और मक्का फसल को प्रोत्साहन देने की योजना है।

अनाज के साथ बागवानी

कृषि के व्यावसायीकरण का सूत्र अपनाते हुए किसानों को अनाज के साथ ही बागवानी के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इससे कृषि जोत में तेजी से आ रही गिरावट को रोका जा रहा है, साथ ही खेती को फायदे का सौदा भी बनाया जा रहा है क्योंकि खेती का रकबा तेजी से कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में बागवानी के पौधे लगाने के दौरान खेत में अनाज लिया जा सकता है। जैसे–जैसे बाग तैयार होता है, वैसे–वैसे अनाज की खेती कम कर दी जाती है। गंगा–यमुना नदी के दोआबा क्षेत्र के किसान कृषि भूमि में अनाज की खेती के साथ ही बागवानी की खेती भी अपना रहे हैं। दोआबा क्षेत्र के किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेकर सिंचाई के निजी संसाधन (नलकूप) लगवाए हैं। यहां के किसान गेहूं व सरसों के खेत में केला, पपीता, हल्दी, मिर्च, अरुइया, प्याज, लहसुन, खीरा–ककड़ी, कुंदरू, आलू व अन्य सब्जी की खेती के अलावा आम और अमरूद के बगीचे तैयार कर चार गुना फायदा कमा रहे हैं। बड़े काश्तकार ही नहीं, बंटाई (अधियां) में खेती करने वाले भूमिहीन किसान भी बागवानी की खेती कर इसका खूब लुत्फ उठा रहे हैं।

वहीं कुछ इलाकों में इन दिनों अनाज के साथ ही अनार की खेती में भी किसान जुटे हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में अनार के पौधे दिखाई पड़ते हैं। अनार की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहां की सरकार भी किसानों की मदद कर रही है। वैसे तो अनार का मूल स्थान ईरान को माना जाता है, मगर अपने देश के महाराष्ट्र में अनार की व्यावसायिक खेती बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भी ऐसे राज्य हैं जहां अनार की व्यावसायिक खेती की जाती है। इन प्रदेशों के बाद अब मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनार की खेती शुरू की गई है। इसके उत्पादन के लिए सूखी–गर्म और सर्द हवाओं के साथ पानी की उपलब्धता वाला क्षेत्र अहमियत रखता है। प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसी स्थिति है, जहां अनार की व्यावसायिक खेती के रूप में किसानों को नया विकल्प दिया जा सकता है। राज्य में जून माह में देश के अनेक विशेषज्ञ अनार की व्यावसायिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर भोपाल में मंथन करेंगे। साथ ही उन राज्य के उन स्थानों का भी चयन करेंगे जहां अनार की खेती की जा सकती है।

कृषि व्यवसायीकरण में नाबार्ड भी सहभागी

राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा

रहा है। इसी के तहत कृषि व्यवसायीकरण में भी नाबार्ड ने संयुक्त देयता समूह के माध्यम से किसानों की किस्मत को बदलने की योजना बनाई है। इस योजना में बटाई पर खेती करने वाले भूमिहीन किसानों व कृषि मजदूरों की स्थिति में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। नाबार्ड द्वारा इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। विभाग के अंतर्गत संचालित संयुक्त देयता समूह में चार से दस किसानों का चयन किया जाता है। कार्य के आधार पर चार प्रतिशत के वार्षिक ब्याज से पचास हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसान क्लब में बटाई पर खेती, सब्जी की खेती, औषधीय पौधों की खेती, उपज के क्रय–विक्रय के साथ स्थानीय स्तर पर परंपरागत रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नियमानुसार संचालित सक्रिय समूह को बाद में ढाई लाख रुपये तक की मदद दी जाती है। चार प्रतिशत वार्षिक और ब्याजमुक्त ऋण प्रदान कर किसान क्लब की स्थापना करते हुए भूमिहीन किसानों के विकास के लिए भी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। नाबार्ड की इस अति महत्वाकांक्षी योजना से भूमिहीन, कृषक मजदूर, बटाईदार, कम जोत वाले किसान आदि लाभान्वित हो सकते हैं। सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाओं या नाबार्ड कार्यालय पर इस संदर्भ में व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें एक ही वर्ग में न्यूनतम चार और अधिकतम दस सदस्यों का समूह बनाया जाता है।

मिटटी जांचों और खाद डालो

कृषि व्यावसायिकता के तहत 'मिट्टी जांचों और खाद डालो' अभियान भी चलाया जा रहा है। यानी जिस मिट्टी में जितनी खाद की जरूरत है, उतनी ही पड़नी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार की ओर से इन दिनों मिट्टी की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला–स्तर पर स्थापित प्रयोगशालाओं में गांवों की मिट्टी पहुंचाने के लिए किसान मित्रों का भी चयन किया गया है। ये किसान मित्र अपने–अपने गांव के किसानों की मिट्टी को लेकर प्रयोगशाला तक पहुंचा रहे हैं और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को रासायनिक खाद एवं अन्य पोषक तत्वों को प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अब गांवों में शिविर आयोजित कर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। क्योंकि उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं के बारे में प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने के लिए मृदा जांच इसका आधार है। जांच के बाद उर्वरता मैप तैयार किया जाता है जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कितना प्रयोग किया जाना चाहिए, इसका विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरक जैसे एनपीके, चूना अथवा जिप्सम का उचित प्रयोग किया जाता है। यानी जितनी जरूरत हो, उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत में कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अलग से प्रयोगशालाएं चल रही हैं। मिट्टी उर्वरता में खनिजों जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की उपस्थिति को विचार में लिया जाता है। यह सही उर्वरकों के प्रापण तथा बीज के उपयुक्त प्रकार को चुनने में सहायता देती है, ताकि अधिकतम संभव फसल प्राप्त की जा सके।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : sunil.saket@gmail.com

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।
शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)
डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।
कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग के नाम नई दिल्ली में देय हो।
नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....
पता .....
..... पिन .....
इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066